न्यायालय जिला कलक्टर, फलौदी

पीठासीन अधिकारी श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

रेफरेंस प्रार्थना पत्र :– 6 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) फलौदी		1. अब्दुल अजीज पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलौदी

जिला कलक्टर फलौदी

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 154 व 318 राजस्व ग्राम फलौदी

दिनांकः–27/11/26

निर्णय

1. रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार फलौदी द्वारा प्रस्तुत की गई।

2. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि कस्बा फलौदी का खसरा संख्या 561 कुल क्षेत्रफल 1835.03 बीघा किस्म बी–4 भूमि कस्बा फलौदी की खतौनी बंदोबस्त संवत 2012–2031 अनुसार राजकीय भूमि के रूप में दर्ज रेकर्ड थी। कस्बा फलौदी की जमाबंदी चौसाला संवत 2021–24 के राजकीय भूमि के खाते में खसरा561 / 784 के राजस्व रेकर्ड में जरिए नामान्तरकरण संख्या 154 के अब्दुल अजीज पुत्र नैना का अंकन दर्ज होकर विशेष विवरण में गैर खातेदार हुए का भी अंकन दर्ज पाया गया। बाद में जरिए नामान्तरकरण संख्या 318 के अब्दुल अजीज पुत्र नैना को उक्त भूमि की खातेदारी दी गई। उक्त नामान्तरकरण संख्या 154 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त नामान्तरकरण में पटवारी द्वारा दिनांक 21.12.67 को रिपोर्ट की गई कि तहसील आदेश संख्या LR 2545 / 14.12.67 के गैर खातेदार फरमावे। कस्बा फलौदी की आदेश पुस्तक का अवलोकन करने पर यह पाया कि उक्त आदेश पुस्तक के पृष्ठ संख्या 47 पर क्रम संख्या 90 पर आदेश की दिनांक 03.10.1966 को तहसीलदार फलौदी के आदेश का अंकन है। आदेश के विवरण में दिनांक 13.07.1965 को कस्बा फलौदी में खसरा संख्या 561 / 784 में रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन किया गया था। दिनांक 28.01.13 को अब्दुल अजीज पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलौदी द्वारा खसरा संख्या 561 / 784 में रकबा 15 बीघा में से रकबा

जिला कलक्टर फलौदी

07 बीघा भूमि शिवकुमार पुत्र गोरधन जाति सोनी निवासी फलौदी को विनिमय कर दिया था। जिसका राजस्व रेकर्ड में नवीन खसरा संख्या 561/23 रकबा 07 बीघा का सृजन हुआ। कस्बा फलौदी के खसरा संख्या 561/759 की खातेदारी इदी पुत्री अकूब का देहान्त होने पर उसके वारिसान द्वारा दिनांक 24.08.2016 को एक हकतर्क दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय फलौदी में निष्पादित व पंजीबद्व करवाया गया था। चूँकि अब्दुल अजीज पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलौदी उक्त भूमि खसरा संख्या 561/759 की खातेदारी इदी पुत्री अकूब का पुत्र था इसलिए उक्त पंजीबद्व दस्तावेज में अब्दुल अजीज पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलोदी ने उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अपने दस्तावेज आधार संख्या 904047412066 अनुसार दिनांक 24.08.2016 को अपनी उम्र 46 वर्ष जाहिर की थी। उक्त पंजीबद्व दस्तावेज से यह स्पष्ट हो जाता है कि कस्बा फलौदी की वर्तमान जमाबंदी के खसरा संख्या 561/784 रकबा 15 भूमि आवंटी अब्दुल अजीज पुत्र नैना आवंटन दिनांक 13.07.1965 को नाबालिग था एवं नाबालिग होने के कारण वह भूमि आवंटन हेतु पूर्णत अपात्र था। अप्रार्थी अब्दुल अजीज पुत्र नैना द्वारा भूमि आवंटन हेतु पूर्णतः अपात्र होने के बावजूद भी आवेदन कर राज्य सरकार के साथ में धोखाधड़ी करते हुए अवैध तरीके से खसरा संख्या 561/784 में 15 बीघा भूमि आवंटन करवा ली, जो कि उक्त कृत्य राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14(4) के अन्तर्गत कपट की श्रेणी में आता है। आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन की शर्तो की उल्लंघन की श्रेणी में होने के कारण उक्त आवंटन प्रारम्भतः शून्य होने से निरस्त योग्य है। रेफरेन्स न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने पर अप्रार्थी अब्दुल अजीज पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलौदी के पक्ष में किया गया अवैध भू–आवंटन निरस्त हेतु एवं अवैध रूप से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 154 व 318 राजस्व ग्राम फलौदी में नियमों के विपरित दर्ज एवं पारित किया जाने से निरस्त करने का विधिसम्मत आदेश पारित करने का आदेश प्रदान करावें।

3. तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंन्स प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी हेतु नोटिस जारी कर तामील हेतु भेजे गये। अप्रार्थी अब्दुल अजीज पुत्र नैना की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा ने वकालातनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया गया कि अप्रार्थी के अधिवक्ता को रेफरेन्स के साथ संलग्न दस्तावेज, आदेश पुस्तिका में LR आदेश सम्बन्धित नोट्स, दस्तावेजों की पठनीय प्रति अप्रार्थी अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई जावे। तदपश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रेफरेन्स में प्राथमिक आपत्तियां पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते जबाब/बहस में रखा गया। तहसीलदार फलौदी द्वारा उक्त प्राथमिक आपत्तियों पर जबाब ना देकर

जिला कलक्टर
फलौदी

आपत्तियों एवं रेफरेन्स प्रार्थना पर बहस करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। तदपश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. तहसीलदार बाप ने अपनी बहस में बताया कि कस्बा फलौदी की जमाबंदी चौसाला संवत 2021–24 के राजकीय खाता में खसरा संख्या 561/784 के राजस्व रेकर्ड में जरिए नामान्तरकरण संख्या 154 के अब्दुल पुत्र नैना का अंकन दर्ज होकर विशेष विवरण में गैर खातेदार के रूप में अंकन दर्ज किया गया। बाद में जरिए नामान्तरकरण संख्या 318 द्वारा अप्रार्थी को खातेदारी दी गई। दिनांक 13.07.1965 को कस्बा फलौदी में खसरा संख्या 561/784 में रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन किया गया था। दिनांक 28.01.13 को अब्दुल अजीज पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलौदी द्वारा खसरा संख्या 561/784 में रकबा 15 बीघा में से रकबा 07 बीघा भूमि शिवकुमार पुत्र गोरधन जाति सोनी निवासी फलौदी को विनिमय कर दिया था। जिसका राजस्व रेकर्ड में नवीन खसरा संख्या 561/23 रकबा 07 बीघा का सृजन हुआ। कस्बा फलौदी के खसरा संख्या 561/759 की खातेदारी इदी पुत्री अकूब का देहान्त होने पर उसके वारिसान द्वारा दिनांक 24.08.2016 को एक हकतर्क दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय फलौदी में निष्पादित व पंजीबद्व करवाया गया था। चूँकि अब्दुल अजीज पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलौदी उक्त भूमि खसरा संख्या 561/759 की खातेदारी इदी पुत्री अकूब का पुत्र था इसलिए उक्त पंजीबद्व दस्तावेज में अब्दुल अजीज पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलोदी ने उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अपने दस्तावेज आधार संख्या 904047412066 अनुसार दिनांक 24.08.2016 को अपनी उम्र 46 वर्ष जाहिर की थी। उक्त पंजीबद्व दस्तावेज से यह स्पष्ट हो जाता है कि कस्बा फलौदी की वर्तमान जमाबंदी के खसरा संख्या 561/784 रकबा 15 भूमि आवंटी अब्दुल अजीज पुत्र नैना आवंटन दिनांक 13.07.1965 को नाबालिग था एवं नाबालिग होने के कारण वह भूमि आवंटन हेतु पूर्णत अपात्र था। अप्रार्थी अब्दुल अजीज पुत्र नैना द्वारा भूमि आवंटन हेतु पूर्णतः अपात्र होने के बावजूद भी आवेदन कर राज्य सरकार के साथ में धोखाधड़ी करते हुए अवैध तरीके से खसरा संख्या 561/784 में 15 बीघा भूमि आवंटन करवा ली, जो कि उक्त कृत्य राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14(4) के अन्तर्गत कपट की श्रेणी में आता है। आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन की शर्तो की उल्लंघन की श्रेणी में होने के कारण उक्त आवंटन प्रारम्भतः शून्य होने से निरस्त योग्य है। निवेदन किया गया कि रेफरेन्स प्रार्थना स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 154 व 318 राजस्व ग्राम फलौदी को नियमों के विपरित दर्ज एवं पारित किया होने के कारण निरस्त करने का विधि सम्मत आदेश पारित किया जावें।

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत रेफरेन्स विधिक प्रारूप में पेश नहीं होने से प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज योग्य है। खसरा संख्या 561/784 में से 15 बीघा भूमि अब्दुल अजीज पुत्र नैना का नामान्तरकरण संख्या 154 भरा गया। उक्त

जिला कलक्टर
फलौदी

नामान्तरकरण आवंटन आदेश के तहत भरा गया यह आवंटन आदेश से संबधित किसी तहह का आदेश या पत्रावली रेफरेन्स के साथ पेश नही की गई है। आवंटी अब्दुल अजीज द्वारा खसरा संख्या 561/784 रकबा 15 बीघा में 7 बीघा भूमि शिवकुमार पुत्र गोरधन जाति सोनी विनिमय किया जाना अंकित किया है। हस्तगत प्रकरण में शिवकुमार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है और न ही नोटिस जारी हुआ है। रेफरेन्स में अंकित तथ्य अनुसार आधार कार्ड संख्या 904047412066 दिनांक 24.08.2016 को अप्रार्थी की उम्र 46 वर्ष मानकर दिनांक 13.07.1965 को नाबालिग होने का कथन किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय अनुसार आर जे टी सिविल 2025(1) सरोज एंड अन्य बनाम ईफकों टोकियों जनरल इन्श्योरेन्स के अनुसार आधार कार्ड उम्र का प्रूफ नहीं हो सकता दस्तावेज को उम्र का धारा माना जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी को आधार कार्ड में दर्ज उम्र के अनुसार नाबालिग मानकर रेफरेन्स पेश किया है। तहसीलदार फलौदी द्वारा रेफरेन्स के साथ आवंटन आदेश दिनांक 13.07.1965 पेश नहीं किया है एवं न ही हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण की मूल प्रति पेश की है। दिनांक 13.07.1965 को आवंटन होने के बाद उक्त प्रकरण में अप्रार्थी गैर खातेदार था, जिसे तहसीलदार फलौदी द्वारा खातेदार घोषित किया गया । तत्पश्चात उस वक्त भी तहसीलदार को आवंटित तथ्यों के बारे में जानकारी थी। लगभग 60 वर्ष की अत्यधिक देरी से तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स पेश किये जाने से रेफरेन्स सारहीन एवं खारिज योग्य है।

6. अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा दौराने बहस RRT 2003 (2) पेज 1249 स्टेट बनाम सेरआ, RRT 2003 (2) पेज 1253 नगरपालिका किशनगढ़ बनाम नारायण वगैरा, RRT 2011—12 (SUPP.) पेज 691 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम कल्याण दत्त, RJT (civil) 2025 (1) पेज 77 सरोज बनाम इफको टोकियों जनरल इन्शोरेन्स कॉ., RRT 2005(2) PAGE 1183 Kali Charan vs Board of Revenue, RRT 2017(1) Page 73 State Of Rajasthan vs Gaura & oth. व अन्य न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्को पर मनन एवं अवलोकन किया गया। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं महत्ता के सम्बध में एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के सम्बध में किसी न्यायालय की द्वारा पारित कार्यवाही की सम्बध में रेकर्ड मांग कर जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि न्यायालय का यह मत हों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को परिवर्तित , निरस्त या उलटी जानी चाहिए तो न्यायालय रेफरेन्स में अपनी राय की अनुशषा के साथ बोर्ड को भिजवाया जाने का अधिकार प्रदान करता है। बाद अवलोकन एवं मनन तत्पश्चात यह पाया गया कि खातेदारी आवंटन नियम विरूद्व किया गया है। अतः तहसीलदार फलौदी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
फलौदी

आदेश

सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता हैं कि अप्रार्थी अब्दुल अजीज पुत्र नैना जाति व्यापारी निवासी फलौदी के पक्ष में किया गया अवैध भू आवंटन तथा आवंटन होने उपरान्त तहसीलदार फलौदी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 154 व 318 नियमों के विपरित दर्ज एवं पारित किये जाने से खारिज किये करने की कार्यवाही किये जाने की राय के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाता है। पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
फलौदी

श्वेता चौहान(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी